



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



जयपुर दिनांक :

क्रमांक: एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाइडलाईन/2022-23
जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

30 MAY 2022

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों को राज्य मद से 25 अतिरिक्त दिवसों का रोजगार व बारां जिले में निवासरत "सहरिया एवं खैरुआ" एवं उदयपुर जिले में निवासरत "कथौडी" जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार राज्य मद से दिये जाने की घोषणा की गयी है। इसी प्रकार बारां जिले में निवासरत "सहरिया एवं खैरुआ" तथा उदयपुर जिले में निवासरत "कथौडी" जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने हेतु बजट घोषणा की गई है। उक्त दोनों बजट घोषणाओं की पालना में राज्य मद से संचालित नवीन प्रस्तावित योजना को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान के नाम से जाना जाएगा।

चूंकि यह राशि पूर्णतः राज्य मद से दी जा रही है, अतः इन्हें अतिरिक्त श्रम दिवस का लाभ ऐसे कार्यों के लिए भी दिया जा सकता है, जिनके लिए महात्मा गांधी-नरेगा योजना में प्रावधान नहीं है, परन्तु वे कार्य उपयोगी या आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत अब तक केवल कृषि भूमि पर ही जल संरक्षण संरचना का निर्माण अनुमत है, जबकि वर्तमान में वर्षा जल के संरक्षण हेतु रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व्यवस्था को सर्वाधिक आवश्यक माना जाता है। राजस्थान जैसे कम वर्षा के प्रदेश में तो यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। अतः आवासीय क्षेत्र में भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनुमत करने के संबंध में अनुमति दी जा सकती है।

इस योजना में राज्य मद से 25 अतिरिक्त दिवस व सहरिया, खैरुआ, कथौडी जनजाति एवं विशेष योग्यजन श्रमिक परिवारों को अतिरिक्त 100 दिवस का रोजगार देते हुए अनुमत कार्यों की सूची निम्नानुसार है :-

(अ) सामुदायिक प्रकृति के कार्य :-

1. विद्यालय भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, अन्य राजकीय भवन निर्माण।
2. चारदीवारी निर्माण।
3. चारागाह फेन्सिंग।
4. स्टॉर्म/ग्रे-वाटर नालों की सफाई।
5. नहरों एवं नालियों में डी-सिल्टिंग।
6. पंचायत/पंचायत समिति परिसर में सीसी ब्लॉक/खरंजा,
7. सडक के किनारे झाड़ियों की कटिंग एवं पटरी निर्माण।
8. पानी की टंकी (जी.एल.आर) निर्माण।

9. ग्राम पंचायत द्वारा संचालित या पशुपालन विभाग द्वारा अनुदानित एवं पंजीकृत गौशालाओं हेतु शेड निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण के कार्य, पशु खेली (चारा एवं पानी) निर्माण कार्य।
10. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या राजकीय विद्यालय में सफाई एवं पोषण वाटिका संबंधी कार्य।
11. गाँव में चबूतरा निर्माण कार्य।
12. ग्राम पंचायत क्षेत्र की महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में निर्मित ऐसी सार्वजनिक परिसम्पत्तियाँ, जो कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अनुमत नहीं हैं, के मरम्मत एवं रखरखाव (Repair & Maintenance) के कार्य।
13. हेल्पर-हैंडपम्प मरम्मत हेतु।

(ब) व्यक्तिगत लाभ से सम्बन्धित कार्य :-

1. आवासीय क्षेत्र में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सिस्टम निर्माण।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के अनुमत कार्यों में लघु एवं सीमांत कृषकों से सम्बन्धित कार्य।

उक्त वर्णित अनुमत कार्यों की सूची अनुसार कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन श्रमिकों को नरेगा के अनुमत/संचालित कार्यों पर नियोजित किया जा सकेगा। जैसे यदि कोई श्रमिक माली के कार्य में कुशल है तो उसे पौधशाला, पोषण वाटिका, वृक्षारोपण के कार्य में नियोजित किया जा सकेगा।

उक्त समस्त कार्यों हेतु सामग्री मद की राशि अन्य योजनाओं (पंचायत की निजी आय/अन्य केन्द्रीय एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं) के अभिसरण से सम्बन्धित योजना के निर्देशों के अनुसार दी जायेगी। ऐसे कार्यों को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना/जीपीडीपी में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। सामग्री मद की कोई भी राशि इस योजना से नहीं दी जाएगी, उसे केवल अन्य योजनाओं से अभिसरण द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा।

उपरोक्त अतिरिक्त 25 दिवस व सहरिया, खैरुआ, कथौडी जनजाति एवं विशेष योग्यजन श्रमिक परिवारों को अतिरिक्त 100 दिवस के रोजगार का प्रावधान नरेगा सॉफ्ट में करवाने हेतु भारत सरकार को आग्रह किया जा रहा है, परन्तु अतिरिक्त रूप में भी इसके लिए स्वतंत्र पोर्टल बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु जारी किये जाने वाले जॉबकार्ड का प्रारूप परिशिष्ट-1 एवं मस्टररोल का प्रारूप परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, परावि।
4. अति० जि० कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प. समस्त।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
6. मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारी गण।
7. अधिशापी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

परि. निदे. एवं उप्र शासन सचिव, ईजीएस

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राजस्थान
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संचालित)



जॉब कार्ड

सामान्य श्रेणी

जॉब कार्ड नम्बर:

QR CODE

2	7	3	1																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

जॉब कार्डधारी परिवार के मुखिया _____

का नाम: _____

जारी करने की दिनांक : _____

श्रेणी : _____

पता : _____

गांव : _____

ग्राम पंचायत : _____

पंचायत समिति : _____

जिला : _____ बारां

एस.ई.सी.सी. टिन नं. _____

(यदि उपलब्ध है)

मेरा गांव, मेरा महात्मा गांधी नरेगा

परिवार के सदस्यों का विवरण

पंजिकृत सदस्य का नाम : _____	सत्यापित फोटोग्राफ
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध : _____	_____
आयु (पंजीकरण दिनांक को) _____	_____
लिंग _____	_____
मोबाईल नम्बर _____	_____
पंजिकृत सदस्य का नाम : _____	सत्यापित फोटोग्राफ
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध : _____	_____
आयु (पंजीकरण दिनांक को) _____	_____
लिंग _____	_____
मोबाईल नम्बर _____	_____
पंजिकृत सदस्य का नाम : _____	सत्यापित फोटोग्राफ
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध : _____	_____
आयु (पंजीकरण दिनांक को) _____	_____
लिंग _____	_____
मोबाईल नम्बर _____	_____
पंजिकृत सदस्य का नाम : _____	सत्यापित फोटोग्राफ
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध : _____	_____
आयु (पंजीकरण दिनांक को) _____	_____
लिंग _____	_____
मोबाईल नम्बर _____	_____

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगुल निशानी _____
 हस्ताक्षर मय नाम व मोहर, दिनांक _____
 दिनांक _____

परिवार के सदस्यों का विवरण

पंजिकृत सदस्य का नाम : _____	सत्यापित फोटोग्राफ
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध : _____	_____
आयु (पंजीकरण दिनांक को) _____	_____
लिंग _____	_____
मोबाईल नम्बर _____	_____
पंजिकृत सदस्य का नाम : _____	सत्यापित फोटोग्राफ
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध : _____	_____
आयु (पंजीकरण दिनांक को) _____	_____
लिंग _____	_____
मोबाईल नम्बर _____	_____
पंजिकृत सदस्य का नाम : _____	सत्यापित फोटोग्राफ
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध : _____	_____
आयु (पंजीकरण दिनांक को) _____	_____
लिंग _____	_____
मोबाईल नम्बर _____	_____
पंजिकृत सदस्य का नाम : _____	सत्यापित फोटोग्राफ
परिवार के मुखिया से सम्बन्ध : _____	_____
आयु (पंजीकरण दिनांक को) _____	_____
लिंग _____	_____
मोबाईल नम्बर _____	_____

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगुल निशानी _____
 हस्ताक्षर मय नाम व मोहर, दिनांक _____
 दिनांक _____

उपस्थिति पत्रक

वित्तिय वर्ष

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

उपस्थिति पत्रक

वित्तिय वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

गण्डर रोड - (अफुगल श्रमिकों हेतु)

गण्डर : राजस्थान

जिला : बारण

ब्लॉक :

पंचायत :

कार्य करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर के साथ

वित्तीय वर्ष :



गण्डर रोड संख्या	वित्तिय वर्ष	कुल	क.अ./व. सह. द्वारा मरा जायना
गुण	दैनिक कार्य की मात्र (नेट द्वारा प्रतिदिन मरा जाने)	दिनांक	
1	प्रतिदिन किये गये कार्य का संक्षिप्त नाम		
	1. कार्यरत श्रमिक संख्या		
	2. टाल बंद के शुमार दिग् गण (प्रदक्षिण) कार्य की मात्र (घन/वर्ग फीट में)		
	3. सम्पादित लम्बाई (फीट में)		
	4. सम्पादित चौड़ाई (फीट में)		
	5. सम्पादित ऊँचाई / गहराई (फीट में)		
	6. किया गया कार्य (सम्पादिना) के मात्रा		
	7. दर = किया गया कार्य / दिया गया कार्य * \times		
	8. सप्तर के न्यूनिकृत राशि-कार्यरत श्रमिक संख्या दर		
	9. कार्यस्थल छोड़ने का समय		
	सप्तर के प्रतिनिधि का दैनिक हस्ताक्षर / अंगूठा		
	दैनिक कार्य की मात्र (नेट द्वारा प्रतिदिन मरा जाने) दिनांक		
2	प्रतिदिन किये गये कार्य का संक्षिप्त नाम		
	1. कार्यरत श्रमिक संख्या		
	2. टाल बंद के शुमार दिग् गण (प्रदक्षिण) कार्य की मात्र (घन/वर्ग फीट में)		
	3. सम्पादित लम्बाई (फीट में)		
	4. सम्पादित चौड़ाई (फीट में)		
	5. सम्पादित ऊँचाई / गहराई (फीट में)		
	6. किया गया कार्य (सम्पादिता) के मात्रा		
	7. दर = किया गया कार्य / दिया गया कार्य * \times		
	8. सप्तर के न्यूनिकृत राशि-कार्यरत श्रमिक संख्या दर		
	9. कार्यस्थल छोड़ने का समय		
	सप्तर के प्रतिनिधि का दैनिक हस्ताक्षर / अंगूठा		

गण्डर रोड में असह्य इन्दाज करना एवं काट-छांट करना मूल्यकान प्रतिभूति से छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है, जो भारतीय संहिता की धारा ४२०, ४६८ एवं ४७४ में दण्डनीय अपराध है।

कुल क.अ./व. सह. द्वारा मरा जायना

(घ) = (लघु में)

(च) नेट के अंशक फायदा में कार्यरत गये सप्तल कार्य की कुल लागत = ₹ ०

(छ) क.अ./व.सह. मरा कर द्वारा न्यूनिकृत राशि का अनुपात = ₹ / मी

मंशुनो. \times क.अ./व.सह. के हस्ताक्षर

नगर की कमीश. (Muzammyar)

उपरोक्त सप्तल पर नेट द्वारा मरा जायना (पृ-१)

(झ) सप्तर की कुल न्यूनिकृत राशि = (लघु में)

(ञ) सप्तर के कुल श्रमिक दिवस =

(ट) नेट के अंशक सप्तल के दल लक्षित प्रति श्रमिक नगरी को र. (की/घं) (₹ ० में)

(ड) सप्तर की प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी दर = नेट के हस्ताक्षर

(क) सप्तर की प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी दर = ₹ ० / व.सह. के हस्ताक्षर

(ख) सप्तर की प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी दर = ₹ ० / व.सह. के हस्ताक्षर

(ग) सप्तर की प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी दर = ₹ ० / व.सह. के हस्ताक्षर

सप्तल का मजदूरी पर नेट द्वारा मरा जायना (पृ-२)

(झ) सप्तर की कुल न्यूनिकृत राशि = (लघु में)

(ञ) सप्तर के कुल श्रमिक दिवस =

(ट) नेट के अंशक सप्तल के दल लक्षित प्रति श्रमिक नगरी को र. (की/घं) (₹ ० में)

(ड) सप्तर की प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी दर = नेट के हस्ताक्षर

(क) सप्तर की प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी दर = ₹ ० / व.सह. के हस्ताक्षर

(ख) सप्तर की प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी दर = ₹ ० / व.सह. के हस्ताक्षर

(ग) सप्तर की प्रति श्रमिक प्रतिदिन मजदूरी दर = नेट के आकार पर (की क.अ.सह.) की किया जायेगा।